



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मई, 2020-वैशाख 18, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अवयस्क पुत्री आस्था रामरख्यानी के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम आर्ची रामरख्यानी (Aarchi Ramrakhyani) लिखा गया है जिसे बदलकर अनामिका रामरख्यानी (Anamika Ramrakhyani) कर लिया है. अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में मेरी पुत्री की माता का नाम आर्ची रामरख्यानी के स्थान पर अनामिका रामरख्यानी पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(आर्ची रामरख्यानी)

223-एम, खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.).

(01-बी.)

नया नाम :

(अनामिका रामरख्यानी)

223-एम, खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बृजमोहन विश्वकर्मा S/o स्व. श्री छकौड़ी लाल विश्वकर्मा, ग्राम शाहपुर पो. आ. हिनौता, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.).

यह है कि हमारी सेवा पुस्तिका में भूलवश बृजमोहन लोहार लिखा गया है, जो कि गलत है. सही नाम बृजमोहन विश्वकर्मा है.

अतः हमारी सेवा पुस्तिका में बृजमोहन लोहार के स्थान पर बृजमोहन विश्वकर्मा लिखा, पढ़ा व जाना जाये.

पुराना नाम :

(बृजमोहन लोहार)

(02-बी.)

नया नाम :

(बृजमोहन विश्वकर्मा)

कार्यालय सहा. श्रेणी-2, 0/0 व.ले.अ.

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मितेश वर्मा पिता जितेन्द्र वर्मा था. मैंने दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 को पब्लिक नोटरी श्री महेन्द्र कुमार जैन, उज्जैन के समक्ष किये गए शपथ-पत्र के द्वारा मेरा नाम मितेश वर्मा पिता जितेन्द्र वर्मा से परिवर्तन कर

मितेश खत्री पिता जितेन्द्र खत्री कर लिया है। मितेश वर्मा और मितेश खत्री एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अब मुझे भविष्य में सभी संदर्भों और उद्देश्यों के लिए मितेश खत्री पिता जितेन्द्र खत्री के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(मितेश वर्मा)	(मितेश खत्री)
पिता-जितेन्द्र वर्मा.	पिता-जितेन्द्र खत्री.
(03-बी.)	पता-23/27, अम्बर कॉलोनी, उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मोनिका शर्मा पति सोनू शर्मा (पिता मनोहर शर्मा) था, मैंने दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को पब्लिक नोटरी श्री महेंद्रकुमार जैन, उज्जैन के समक्ष किये गए शपथ-पत्र के द्वारा मेरा नाम मोनिका शर्मा पति सोनू शर्मा (पिता मनोहर शर्मा) से परिवर्तन कर राधिका शर्मा पति सोनू शर्मा (पिता मनोहर शर्मा) कर लिया है। मोनिका शर्मा और राधिका शर्मा एक ही महिला के नाम हैं। अब मुझे भविष्य में सभी संदर्भों और उद्देश्यों के लिए राधिका शर्मा पति सोनू शर्मा के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(मोनिका शर्मा)	(राधिका शर्मा)
पति-सोनू शर्मा.	पति-सोनू शर्मा,
(04-बी.)	पता-मकान नं. 85, ग्राम निनोरा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) 456001.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राजश्री पत्नी श्री देवराज सिंह था। अब मैंने अपना नाम बदलकर चंदा कवरं पत्नी श्री देवराज सिंह कर लिया है। अतः अब मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम चंदा कवरं अंकित समझा जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(राजश्री)	(चंदा कवरं)
(05-बी.)	निवासी-वार्ड नं. 4, कालेज रोड, लंकापुरी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.

नाम परिवर्तन

जनकसिंह पिता स्व. भगवानसिंह, निवासी 60, सुरभी परिसर, रतलाम उक्त पते पर स्थाई रूप से निवास करता हूँ मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, परिचय-पत्र, मूल निवासी, बैंक पासबुक में जनकलाल सखवार पिता भगवानसिंह सखवार तथा शिक्षा मार्कशीट, लायसेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, राशनकार्ड, सम्पत्ति कर व जल कर रिकार्ड में जनकलाल सखवार पिता भगवन्तसिंह सखवार नाम अंकित है। जो गलती से तथा अंग्रेजी में स्पेलिंग त्रुटि होने से अंकित हो गया है तथा पिता के नाम में गलती से भगवानसिंह के स्थान पर भगवन्तसिंह हो गया है। मेरे पिता का नाम भगवानसिंह ही है। जिनके दस्तावेज भी हैं। मुझे जनकलाल सखवार तथा जनकसिंह भी बोलते हैं दोनों ही नाम का मैं एक ही व्यक्ति हूँ। मैं अपने समस्त रिकार्ड में जनकलाल सखवार के स्थान पर जनकसिंह पिता भगवानसिंह अंकित करता हूँ जहाँ कहीं भी शासकीय रिकार्ड में मेरा नाम आये मुझे मेरे नाम जनकसिंह पिता भगवानसिंह (JANAK SINGH) (BHAGWAN SINGH) के नाम से ही जाना, पहचाना जाए व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(जनकलाल)	(जनकसिंह)
पिता-भगवानसिंह सखवार.	पिता-भगवानसिंह,
ग्राम बुधारा, जिला मुरैना (म.प्र.).	60, सुरभी परिसर, रतलाम (म.प्र.).
(06-बी.)	

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री राधेश्याम गोयल सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम सीमा जैन पुत्री श्री सी. एल. जैन था। जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं एल.आई.सी. पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 28-06-1999 को श्री राधेश्याम गोयल के साथ हुई थी। विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री राधेश्याम गोयल हो गया है। वर्तमान में श्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री राधेश्याम गोयल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं

इसी नाम श्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री राधेश्याम गोयल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरी एल.आई.सी. पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सीमा जैन के स्थान पर श्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री राधेश्याम गोयल लिखा एवं पढ़ा जाये एवं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(सीमा जैन)

नया नाम :

(सीमा गोयल)

पत्नी-श्री राधेश्याम गोयल,

276, गली नं. 4, तिकोनिया, ग्वालियर (म.प्र.).

(07-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मोनू शिवहरे था. किन्तु अब मुझे मोहित शिवहरे (Mohit Shivhare) पुत्र श्री रविन्द्र शिवहरे से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मोनू शिवहरे)

पुत्र-श्री रविन्द्र शिवहरे.

नया नाम :

(मोहित शिवहरे)

पुत्र-श्री रविन्द्र शिवहरे,

निवासी-सर्किट हाउस रोड, शिवपुरी (म.प्र.).

वर्तमान निवासी-म. नं. 1/302, शालीमार स्टलिंग,

अप्सरा टाकिज, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).

(08-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम डॉ. निकिता शेख पति स्व. श्री मोईनुद्दीन शेख था. अब मैंने अपना नाम बदलकर डॉ. नौशीन मीर "रजा" हो गया है. अतः अब भविष्य में मैं इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी साथ ही मेरे कार्यकालीन अवलेखों एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में यही नाम अंकित समझा जावे.

पुराना नाम :

(निकिता शेख)

पति स्व. श्री मोईनुद्दीन शेख.

नया नाम :

(नौशीन मीर "रजा")

निवासी-पटेल कॉलोनी, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(09-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पा श्रीवास (Pushpa Shrivastava) पत्नी श्री हरिनारायण श्रीवास सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम पुष्पा श्रीवास (Pushpa Shrivastava) था जबकि गलती से मेरी HDFC ENDOWNET ASSURANCE POLICY क्रमांक 10117582 में मेरा नाम पुष्पा श्रीवास्तव लिखा गया है जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक आदि में मेरा नाम पुष्पा श्रीवास (Pushpa Shrivastava) अंकित है एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम पुष्पा श्रीवास (Pushpa Shrivastava) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरे HDFC ENDOWNET ASSURANCE POLICY क्रमांक 10117582 में मेरा नाम पुष्पा श्रीवास्तव जो कि गलत है के स्थान पर सही नाम पुष्पा श्रीवास लिखा एवं पढ़ा जावे. आमन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(पुष्पा श्रीवास्तव)

नया नाम :

(पुष्पा श्रीवास)

पत्नी श्री हरिनारायण श्रीवास,

पता-03, पटेल कॉलोनी दतिया (म.प्र.).

(10-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी था जिसे मैंने बदलकर शेखर जोशी (Shekhar Joshi) कर लिया है जो कि मेरे आधार व पेन कार्ड में दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शेखर जोशी (Shekhar Joshi) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(CHANDRA SHEKHAR JOSHI)

(11-बी.)

नया नाम :

(SHEKHAR JOSHI)

निवासी-265, साकेत नगर, इंदौर.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सोना पत्नी श्री डाल चंद सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बोलता नाम श्रीमती ओमवती पत्नी श्री डालचंद था जो मेरे बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं सोना पत्नी श्री डाल चंद के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं हस्ताक्षर करती हूँ और मेरे सभी दस्तावेजों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती सोना लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम श्रीमती ओमवती के स्थान पर श्रीमती सोना लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(ओमवती)

नया नाम :

(सोना)

पत्नी श्री डालचंद,

पता- पुरानी रेशम मिल, प्रगति नगर, बिरला नगर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(12-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि बचपन में मेरा नाम दिशा गर्ग (Disha Garg) था जो कि NIPPON INDIA MUTUAL FUND FOLIO NO. 44277207601 में अंकित है यह मेरा बोलता नाम था जबकि मेरा वास्तविक नाम खुशबू गर्ग (Khushboo Garg) पिता श्री राजेश गर्ग है, जो मेरे सभी डाक्यूमेंट्स जैसे कि पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में दर्ज है उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम खुशबू गर्ग (Khushboo Garg) पिता श्री राजेश गर्ग से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये. सो विदित हो.

पुराना नाम :

(DISHA GARG)

नया नाम :

(KHUSHBOO GARG)

निवासी: 40-41 बिचोली मर्दाना,

संपत फॉर्म्स, इंदौर (म.प्र.).

(16-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/S Vishwas Industries, a registered partnership firm (Regn. No- 04/14/01/00055/07) having office at Industrial Area, Bargawa, Dist- Katni has been dissolved vide partnership deed dated 28/09/2019.

This public notice is being published for the purpose of registration of closure and dissolution of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For-M/s VISHWAS INDUSTRIES,

VIJAY MOHANANI,

(Partner),

Industrial Area Bargawa Katni.

(13-B.)

PUBLIC NOTICE

This is Inform That Change In Partnership Of A.S. Sales Corporation Itarsi Has Been Affected With Effect From 01.04.2016 Details Are As Under Following Partners Has Been Retired & Admitting In The Firm-
1. Shri Sukhdeo Prasad Shukla S/o Shri J.P. Shukla Resident Of Balaji Mandir Road Malviyaganj Itarsi (M.P.) Retired
2. Ku. Anushr Shukla D/o Shri Hemant Kumar Shukla Resident Of Neelam Nikunj, Asfabad Itarshi (M.P.) Admitted, This Information Had Been Published In Accordance With The Partnership Act.

M/s A S Sales Corporation,

USHA SHUKLA,

(Partner),

Lakkadganj, Hoshangabad (M.P.).

(14-B.)

PUBLIC NOTICE

Firm Name M/S A.S. Sales Corporation Address Shop No. 12-C Near St Joseph Convent School Lakkadganj Itarsi- 461111 District Hoshangabad Madhya Pradesh Registration No. 109 Retiring Partner Hemant Kumar Shukla S/o Ambika Prasad Shukla Date of Retirement 01-03-2020.

M/s A S Sales Corporation,

USHA SHUKLA,

(Partner).

Shop No.12-C Near St. Joseph Convent School,

Lakkadganj, Hoshangabad (M.P.).

(14-A-B.)

NOTICE**(NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given for public information that Shri Ramkishan Yadav S/o Shri Ramswaroop Yadav, who has been partner in firm M/S SAPNA CHAMBER, 12/1, SOUTH TUKOGANJ, INDORE (M.P.) Vide regn No. 2110/86-87 dated: 28/02/1987 Year: 1986/87 has expired on 01/06/2018 & therefore, he ceased to be partner in the firm and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For-M/s SAPNA CHAMBER,

SAPNA YADAV.

Alies Sapna Kapse,

(Partner).

(15-B.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग -पुनासा, जिला खण्डवा

प्र.क्र./बी-113(1)/2019-20.

दिनांक 27 फरवरी, 2019 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री संतोष पिता नारायणसिंह गुर्जर, निवासी ग्राम गुजरखेडी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा “श्री जादम गुजर समाज न्यास ग्राम गुजरखेडी” तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 20 मार्च, 2020 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : “श्री जादम गुजर समाज न्यास ग्राम गुजरखेडी” तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश.

अनुसूची “अ”

2. चल सम्पत्ति : 1000/ रुपये नगद.

अनुसूची “ब”

3. अचल सम्पत्ति : निरंक

ममता खेडे,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(373)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खंडवा, जिला खंडवा

प्र.क्र.0004/बी-113(1)/2019-20.

दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि सुंदरलाल बाथम पिता स्व. टीकाराम बाथम ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : “परदेशी रजक समाज परमार्थ ट्रस्ट खंडवा” तहसील एवं जिला खंडवा
2. चल सम्पत्ति : 12,000/- नगद.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

(374)

प्र.क्र.0006/बी-113(1)/2019-20.

दिनांक 13 जनवरी, 2020 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्री प्रदीप कासलीवाल पिता दीपचंदजी कासलीवाल ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 10 फरवरी, 2020 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : “धर्मोदय अतिशय क्षेत्र श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर बोरगांवखुर्द” तहसील एवं जिला खंडवा.
2. चल सम्पत्ति : 51,000/- नगद.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

(375)

प्र.क्र.0007/बी-113(1)/2019-20.

दिनांक 13 जनवरी, 2020 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्री राजेन्द्र कुमार रेसमीचंद जैन, निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 10 फरवरी, 2020 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : “श्री दिगम्बर जैन जांगड़ा पोरवाड़ सहायक फण्ड” खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा.
2. चल सम्पत्ति : 38,62,000/- डिपॉजिट्स बैंक अकाउन्ट में नगद.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

संजीव केशव पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(376)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, भीकनगाँव

रा.प्र.क्र.01/बी-113(1)/2019-20.

प्रो. क्र.58/19-20

फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]
समक्ष पंजीयक लोक न्यास-

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष “श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ समिति सेवा न्यास खुड़गाँव”, पता-ग्राम-खुड़गाँव, तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	विवरण
1.	अचल संपत्ति	भूमि ख.नं.195/1 रकबा 0.245 हे.	- -	भूमि पर माताजी व अन्य मंदिर तथा रिक्त भूमि
2.	चल संपत्ति	रु. 2,31,000.00 (नगदी)	-	-

बी. एस. सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(377)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल

प्र.क्र. 06 /बी-113/2019-20.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि “नेत्री फाउण्डेशन”, द्वारा कुमारी कांक्षी अग्रवाल पिता श्री आर. सी. अग्रवाल प्रबंधक ट्रस्टी, निवासी-सी-68, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 26 मार्च, 2020 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “सात दिवस” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : “नेत्री फाउण्डेशन” द्वारा कुमारी कांक्षी अग्रवाल,
पिता श्री आर. सी. अग्रवाल प्रबंधक ट्रस्टी,
निवासी-सी/68, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 16 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

राजेश श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(378)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड-जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 06 मार्च, 2020

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) के तहत]

क्र./1197/रीडर-1/2020.-- आवेदक श्री रामनिवास पिता राधेश्याम, जाति धाकड़, निवासी-ग्राम रियावन, तहसील पिपलौदा द्वारा धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 30 मार्च, 2020 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोपहर 03.00 बजे की जावेगी.

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 30 मार्च, 2020 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेन्ट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम : श्री रामजानकी मन्दिर धाकड़ समाज रिलिजियस न्यास.
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

राहुल धोटे,
(IAS)

(405)

अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं**कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश भोपाल**

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी, 2020

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,
श्रीमती ममता सोनी,
रूलर इलेक्ट्रानिक्स का-ऑपरेटिव्ह सोसाइटी लिमिटेड
ई-3/141, अरेरा कालोनी, भोपाल मध्यप्रदेश.

क्र./विविध/कृषि/1/2020/48.—इस कार्यालय द्वारा रूलर इलेक्ट्रानिक्स का-ऑपरेटिव्ह सोसाइटी लिमिटेड भोपाल (जिसे आगे केवल संस्था कहा जावेगा) का पंजीयन क्र. 118, दिनांक 26 मई, 1994 से पंजीयन किया गया. कार्यालय के अंकेक्षण शाखा के पत्र क्र./अंकेक्षण/3/2019/0030/1030, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 एवं निर्वाचन शाखा के पत्र क्र./निर्वाचन/2019/665, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के अनुसार—

1. संस्था का वर्ष 2000 तक का अंकेक्षण हुआ है. शेष वर्षों के अंकेक्षण की टीप अभी तक लंबित है. मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-58 का पालन करने में संस्था असफल रही है.
2. संस्था को अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षण शाखा से पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2019 जारी किया गया इसके उपरान्त भी अंकेक्षण नहीं कराया गया. वर्तमान में संस्था अकार्यशील है.

3. वर्ष 2013 के पश्चात संस्था का निर्वाचन नहीं हुआ है।
4. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों एवं संस्था की उपविधि क्रं. 15(4) के पालन नहीं किया गया जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा का भी आयोजन चाहिए।
5. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
6. संस्था द्वारा लगातार अकार्यशील रहने से संघ के पंजीयन एवं प्रबंधन के बारे में अधिनियम के पंजीकृत उद्देश्यों का अनुपालन नहीं किया है।

उपरोक्त कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था अपने पंजीकृत उद्देश्यों एवं सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, उक्त स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-59(2)ए/क, 69(2) सी/ग के अनुसार परिसमापन में लाए जाने हेतु धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के पर्याप्त आधार हैं।

अतः मैं, श्रीमती गीता झा दिसोरिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि “क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत उपरोक्त कारणों से परिसमापन में लाया जावे”।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आप संस्था की विशेष साधारण सभा का आयोजन कर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को विशेष साधारण सभा के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करें एवं इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 07 अप्रैल, 2020 तक अनिवार्यतः अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं। तो उक्त दिनांक को दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित दिनांक व समय पर आप उपस्थित नहीं होते हैं अथवा नियत समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह मान्य किया जावेगा कि उपरोक्त कारण, आपको मान्य है और धारा-69(2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाए जाने में आपको आपत्ति नहीं है, ऐसा मानते हुए परिसमापन की कार्यवाही की जाकर संस्था में परिसमापक नियुक्त कर दिया जाएगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(379)

भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2020

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

रतन अग्रवाल (अध्यक्ष),
म.प्र. राज्य पर्यटन सहकारी संस्था मर्यादित,
कार्यालय दुग्ध संघ परिसर, हबीबगंज, भोपाल.

क्र./विधि/कृषि/1/2020/50.—इस कार्यालय द्वारा म.प्र. राज्य पर्यटन सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल (जिसे आगे केवल संस्था कहा जावेगा) का पंजीयन क्र. आर.सी.एस. भोपाल- 212, दिनांक 02 फरवरी, 2000 से पंजीयन किया गया। कार्यालय के अंकेक्षण शाखा के पत्र क्र./अंकेक्षण/3/2019/0030/1030, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 एवं निर्वाचन शाखा के पत्र क्र./निर्वाचन/2019/665, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के अनुसार—

1. संस्था का वर्ष 2009-10 तक का अंकेक्षण हुआ है। शेष वर्षों के अंकेक्षण की टीप अभी तक लंबित है। मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-58 का पालन करने में संस्था असफल रही है।
2. संस्था को अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षण शाखा से पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2019 जारी किया गया इसके उपरान्त भी अंकेक्षण नहीं कराया गया। वर्तमान में संस्था अकार्यशील है।
3. वर्ष 2013 के पश्चात संस्था का निर्वाचन नहीं हुआ है।
4. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों एवं संस्था की उपविधि क्र. 15 (4) के पालन नहीं किया गया जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा का भी आयोजन चाहिए।
5. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
6. संस्था द्वारा लगातार अकार्यशील रहने से संघ के पंजीयन एवं प्रबंधन के बारे में अधिनियम के पंजीकृत उद्देश्यों का अनुपालन नहीं किया है।

उपरोक्त कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था अपने पंजीकृत उद्देश्यों एवं सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, उक्त स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-59(2)ए/क, 69(2) सी/ग के अनुसार परिसमापन में लाए जाने हेतु धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के पर्याप्त आधार हैं।

अतः मैं, श्रीमती गीता झा दिसोरिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि “क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत उपरोक्त कारणों से परिसमापन में लाया जावे”.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आप संस्था की विशेष साधारण सभा का आयोजन कर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को विशेष साधारण सभा के समक्ष निर्णायक प्रस्तुत करें एवं इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 07 अप्रैल, 2020 तक अनिवार्यतः अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक को दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि निर्धारित दिनांक व समय पर आप उपस्थित नहीं होते हैं अथवा नियत समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान्य किया जावेगा कि उपरोक्त कारण, आपको मान्य हैं और धारा-69(2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाए जाने में आपको आपत्ति नहीं है, ऐसा मानते हुए परिसमापन की कार्यवाही की जाकर संस्था में परिसमापक नियुक्त कर दिया जाएगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(380)

भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2020

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

म.प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रकाशन संस्था,

पी.एन.टी. चौराहा, शास्त्री नगर, भोपाल.

क्र./विविध/कृषि/1/2020/52.—इस कार्यालय द्वारा म.प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रकाशन संस्था, भोपाल (जिसे आगे केवल संस्था कहा जावेगा) का पंजीयन क्र. आर.सी.एस. भोपाल- 192, दिनांक 28 अप्रैल, 1986 से पंजीयन किया गया. कार्यालय के अंकेक्षण शाखा के पत्र क्र./अंकेक्षण/3/2019/0030/1030, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 एवं निर्वाचन शाखा के पत्र क्र./निर्वाचन/2019/665 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के अनुसार—

1. संस्था का वर्ष 2011-12 तक का अंकेक्षण हुआ है. शेष वर्षों के अंकेक्षण की टीप अभी तक लॉबित है. मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-58 का पालन करने में संस्था असफल रही है.
2. संस्था को अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षण शाखा से पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2019 जारी किया गया इसके उपरान्त भी अंकेक्षण नहीं कराया गया. वर्तमान में संस्था अकार्यशील है.
3. वर्ष 2013 के पश्चात संस्था का निर्वाचन नहीं हुआ है.
4. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों एवं संस्था की उपविधि क्र. 15 (4) के पालन नहीं किया गया जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा का भी आयोजन चाहिए.
5. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
6. संस्था द्वारा लगातार अकार्यशील रहने से संघ के पंजीयन एवं प्रबंधन के बारे में अधिनियम के पंजीकृत उद्देश्यों का अनुपालन नहीं किया है.

उपरोक्त कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था अपने पंजीकृत उद्देश्यों एवं सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, उक्त स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-59(2)ए/क, 69(2) सी/ग के अनुसार परिसमापन में लाए जाने हेतु धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के पर्याप्त आधार हैं.

अतः मैं, श्रीमती गीता झा दिसोरिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि “क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत उपरोक्त कारणों से परिसमापन में लाया जावे”.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आप संस्था की विशेष साधारण सभा का आयोजन कर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को विशेष साधारण सभा के समक्ष निर्णायक प्रस्तुत करें एवं इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 07 अप्रैल, 2020 तक अनिवार्यतः अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो उक्त दिनांक को दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि निर्धारित दिनांक व समय पर आप उपस्थित नहीं होते हैं अथवा नियत समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान्य किया जावेगा कि उपरोक्त कारण, आपको मान्य हैं और धारा-69(2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाए जाने में आपको आपत्ति नहीं है, ऐसा मानते हुए परिसमापन की कार्यवाही की जाकर संस्था में परिसमापक नियुक्त कर दिया जाएगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

गीता झा दिसोरिया,

संयुक्त पंजीयक.

(381)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक जयभीम मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुआखेड़ी, पंजीयन क्र. 1707, दिनांक 30 मई, 2013 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक जयभीम मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुआखेड़ी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक जयभीम मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुआखेड़ी को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक जयभीम मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुआखेड़ी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(382)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक एकता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ी, पंजीयन क्र. 1864, दिनांक 05 मई, 2017 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक एकता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक एकता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ी को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक एकता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(383)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक एकता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., फूडरा पंजीयन क्र. 1195, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., फूडरा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., फूडरा को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., फूडरा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(384)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर मांडली, पंजीयन क्र. 1682, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, मुबारकपुर मांडली में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर मांडली को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर मांडली को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(385)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सातनवाड़ी, पंजीयन क्र. 970, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सातनवाड़ी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सातनवाड़ी को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सातनवाड़ी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे।

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

(386)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक केवट मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गवा श्यामपुर, पंजीयन क्र. 1511, दिनांक 09 सितम्बर, 2010 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है। इस प्रकार प्राथमिक केवट मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, गवा श्यामपुर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक केवट मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गवा श्यामपुर को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक केवट मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गवा श्यामपुर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे।

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

(387)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बमूलिया रायमल, पंजीयन क्र. 1259, दिनांक 22 जुलाई, 2003 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है। इस प्रकार प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बमूलिया रायमल में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बमूलिया रायमल को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बमूलिया रायमल को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे।

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

(388)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सलकनपुर, पंजीयन क्र. 1338, दिनांक 25 नवम्बर, 2006, इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सलकनपुर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सलकनपुर को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सलकनपुर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(389)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तालपुरा बुधनी, पंजीयन क्र. 1403, दिनांक 13 जून, 2008 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तालपुरा बुधनी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तालपुरा बुधनी को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तालपुरा बुधनी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(390)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., शाहगंज, पंजीयन क्र. 1130, दिनांक 22 मार्च, 1999 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, शाहगंज में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., शाहगंज को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., शाहगंज को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(391)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक आदिवासी जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सालीखेड़ा, पंजीयन क्र. 1464, दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक आदिवासी जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सालीखेड़ा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक आदिवासी जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सालीखेड़ा को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक आदिवासी जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या, सालीखेड़ा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(392)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक भारत मछुआ सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, पंजीयन क्र. 1496, दिनांक 17 अगस्त, 2010 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक भारत मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित रसूलपुर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक भारत मछुआ सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक भारत मछुआ सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(393)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक माझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बुधनी घाट, पंजीयन क्र. 1066, दिनांक 04 अक्टूबर, 1995 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक माझी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बुधनी घाट, में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक माझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बुधनी घाट को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक माझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बुधनी घाट को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(394)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., विनायकपुरा, पंजीयन क्र. 1359, दिनांक 20 फरवरी, 2007 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, विनायकपुरा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., विनायकपुरा को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., विनायकपुरा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(395)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक गुरूआ बाबा आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मंजीखेड़ी, पंजीयन क्र. 1713, दिनांक 16 अगस्त, 2013 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है। इस प्रकार प्राथमिक गुरूआ बाबा आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, मंजीखेड़ी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक गुरूआ बाबा आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मंजीखेड़ी को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक माझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मंजीखेड़ी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे।

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

(396)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पांचापुरा, पंजीयन क्र. 1510, दिनांक 09 सितम्बर, 2010 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है। इस प्रकार प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, पांचापुरा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पांचापुरा को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पांचापुरा को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे।

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

(397)

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक जयदेव झिरी आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., आमला पानी, पंजीयन क्र. 1800, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है। इस प्रकार प्राथमिक जयदेव झिरी आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, आमला पानी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक जयदेव झिरी आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., आमला पानी को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक जयदेव झिरी आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., आमला पानी को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 11 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(398)

सीहोर, दिनांक 13 मार्च, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उप-धारा-3 के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., टिटोरिया, पंजीयन क्र. 1431, दिनांक 31 जुलाई, 2009 इसके लेखा वर्ष 2018-19 के पारित ऑडिट नोट के अनुसार अकार्यशील है. इस प्रकार प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, टिटोरिया में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गयी है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., टिटोरिया को परिसमापन में लाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., टिटोरिया को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करे.

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से दिनांक 13 मार्च, 2020 को जारी किया गया.

(399)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 20 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18-1 के तहत]

क्र./परि./216.—जिले में स्थित जल क्षेत्रीय मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रामपुर का पंजीयन क्रमांक 997, दिनांक 24 अप्रैल, 2000 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक के द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आम सभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/05-01-99/पंढ-एक-डी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18-1 के तहत जल क्षेत्रीय मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, रामपुर का पंजीयन क्रमांक 997, दिनांक 24 अप्रैल, 2000 का पंजीयन निरस्त करती हूँ, यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कारपोट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(401)

शकुन्तला ठाकुर,

उपायुक्त सहकारिता.

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मण्डला

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, मण्डला जिसका पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक/दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70 (1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	परिसमापित संस्था नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मण्डला.	117	19/19-01-2016

अतः मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक एवं परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मण्डला कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मण्डला में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे तथा स्वत्व के सम्बंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध हैं उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मण्डला की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का प्रकाशन 31 मार्च, 2019 की स्थिति में संलग्न प्रकाशित किया जा रहा है यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त संस्था के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस बैंक के सम्बंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना-पत्र के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक की उपरोक्त चार्ज या रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

31 मार्च, 2018 पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्थिति विवरण पत्रक**BALANCE SHEET****दायित्व**

क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
1. प्रदत्त अंशपूँजी-			8973316.20
1.	हिस्सा "अ" वर्ग ऋणी सदस्य-6398071.20	6398071.20	
2.	हिस्सा "ब" वर्ग नाममात्र-109445.00	109445.00	
3.	शासकीय अंशपूँजी-2465800.00	2465800.00	
	योग:-	8973316.20	
2. रक्षित निधियां-			538781.71
1.	रक्षित निधि-322.61	322.61	
2.	स्कंध निधि-98.53	98.53	
3.	डूबत एवं संदिग्ध निधि-79.30	79.30	
4.	भवन निधि-238281.27	238281.27	
5.	जीप क्रय निधि खाता-300000.00	300000.00	
	योग:-	538781.71	
3. लाभकारी/अलाभकारी अस्तियां (प्राव.)-			32831000.00
1.	मानक अस्तियां-(0.25%)	0.00	
2.	घटियां अस्तियां 3 वर्ष से कम (10%)-457000.00	457000.00	
3.	संदिग्ध अस्तियां-3 वर्ष से 4 वर्ष तक (20%)-132000.00	132000.00	

दायित्व			
क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
	4. सदिग्ध अस्तियां-4 वर्ष से 6 वर्ष तक (30%)-337000.00	337000.00	
	5. सदिग्ध अस्तियां-6 वर्ष से अधिक (50%)-31905000.00	31905000.00	
	6. हानिप्रद अस्तियां-(100%)-	0.00	
	योग:-	32831000.00	
	4. कालातीत ब्याज निधि एन. पी. ए. अन्तर्गत-		123101000.00
	1. कालातीत ब्याज निधि-123101000.00	123101000.00	
	5. अन्य निधियां-		184208.41
	1. प्राथमिक बैंक समूह बीमा-15349.80	15349.80	
	2. प्राथमिक बैंक ग्रेच्यूटी अंशदान- 2210077.32-3307751-1097673.68 ले गया लेनदारी में	0.00	
	3. प्राथमिक बैंक भविष्य निधि खाता-168858.61	168858.61	
	योग:-	184208.41	
	6. अमानतें-		853379.99
	1. ऋण निक्षेप खाता-151855.29	151855.29	
	2. अस्थाई अंश राशि-55514.00	55514.00	
	3. ग्रामीण ऋण पत्र-4064.20	4064.20	
	4. सस्पेंश अमानत खाता-635225.50	635225.50	
	5. आवर्ती जमा खाता-6721.00	6721.00	
	योग:-	853379.99	
	7. राज्य बैंक की अमानतें-		7099843.43
	1. संवर्ग राज्य बैंक समूह बीमा-493.20-126=367.20	367.20	
	2. मोटर साईकल ऋण राज्य बैंक-1023.00	1023.00	
	3. संवर्ग राज्य बैंक हित निधि-409.50	409.50	
	4. प्रबंधकीय व्यय अग्रिम-6978700.00	6978700.00	
	5. संवर्ग राज्य बैंक स्थाई प्रवास भत्ता-1856.50	1856.50	
	6. राज्य बैंक अधिविकर्ष सुविधा खाता-1858	1858.00	
	7. संवर्ग जीवन बीमा-849.00	849.00	
	8. राज्य बैंक सावधि निक्षेप-102999.98	102999.98	
	9. राज्य बैंक समिति ऋण खाता-19504.25-7724=11780.25	11780.25	
	योग:-	7099843.43	
	8. अन्य देनदारियां खाता-		9397855.56
	1. आई. आर. डी. अनुदान खाता-2165874.00	2165874.00	
	2. अंतव्यवसायी अनुदान खाता-82979.00	82979.00	
	3. पश्चातवर्ती अनुदान खाता-1896611.00	1896611.00	
	4. भूमि क्रय-विक्रय कमीशन खाता-28361.00	28361.00	

दायित्व			
क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
5.	जिला विपणन संघ खाता-224776.09	224776.09	
6.	बोनस खाता जिला बैंक-21042.00	21042.00	
7.	विविध उत्तमर्ण खाता-93650.18	93650.18	
8.	अन्य देनदारियां खाता-1469049.02-52355=1416694.02	1416694.02	
9.	आई. आर. डी. पंजीयन शुल्क खाता-26838.00	26838.00	
10.	अल्पबचत ऋण (प्राथ. बैंक)-215793.00	215793.00	
11.	ब्लॉस्टिंग मशीन प्रत्याभूति-2500.00	2500.00	
12.	विक्रय अधिकारी खाता-175229.00	175229.00	
13.	सहकारी संघ को देय चंदा-48094.70	48094.70	
14.	अंकेक्षण शुल्क-77489.00	77489.00	
15.	प्राथमिक बैंक अनपेड खाता-907271.00+2695-126000=783966.00	783966.00	
16.	वृत्तिकार-17605.00	17605.00	
17.	मत्स्य विभाग अनुदान खाता-44880.00	44880.00	
18.	सहकारी नागरिक बैंक ऋण खाता-500.00	500.00	
19.	त्यौहार अग्रिम-1015.26	1015.26	
20.	अनाज अग्रिम खाता-8770.00	8770.00	
21.	स्थानान्तरण प्रवास अग्रिम-2094.00	2094.00	
22.	भवन किराया अग्रिम-3600.00	3600.00	
23.	हरिजन आदिवासी अंश क्रय ऋण खाता-36400.01	36400.01	
24.	हरिजन आदिवासी अंश क्रय अनुदान-3000.00	3000.00	
25.	अमानत राशि-26422.00+5000-10000=21422	21422.00	
26.	ऋण माफी राहत अंतर्गत वापसी योग्य-14688.00	14688.00	
27.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अंशपूर्जी अनुदान (ऋण राहत 1000)-421000.00	421000.00	
28.	लोक अदालत-515630.30	515630.30	
29.	समूह बीमा दावा राशि-24711.00+288375-258135=54951.00	54951.00	
30.	मूलधन समझौता योजना 2015-673807+663170-344574=992403	992403.00	
योग:-		9397855.56	
9. बैंक खाता अधिक्क-			46133.48
1.	सेविंग खाता शाखा डिण्डौरी-26189.77+86664-71500=41353.77	41353.77	
2.	सेविंग खाता शाखा गोरखपुर-91.10	91.10	
3.	चल खाता संख्या मण्डला- 4688.61	4688.61	
योग:-		46133.48	
10. मुख्यालय समायोजन खाता (मुख्यालय एवं शाखा स्तर पर)-			6824205.52
1.	शाखा डिण्डौरी समायोजन खाता- 3280661.01+213192.57-213192.57=3280661.01	3280661.01	

दायित्व			
क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
2.	शाखा बिछिया समायोजन खाता- 1734834.82+158779.48-158779.48=1734834.82	1734834.82	
3.	शाखा मण्डला समायोजन खाता- 378902.79+2997858.90-307858.90=368902.79	368902.79	
4.	शाखा गोरखपुर समायोजन खाता-416702.53	416702.53	
5.	शाखा नैनपुर समायोजन खाता-1023104.37	1023104.37	
योग:-		6824205.52	
राज्य बैंक का अवशेष ऋण-			
	राज्य बैंक को देय योग्य ब्याज-103400814.20	101756609.28	
	कृषक ऋण राहत खाता-30945.48	103400814.20	
	राज्य बैंक पैक्स मशीन क्रय ऋण खाता-5916.00	30945.48	30945.48
	राज्य बैंक भोपाल समायोजन खाता-85921.51	5916.00	5916.00
	ग्रेच्युटी अंशदान एल. आई. सी. जबलपुर-लाया लेनदारी से-869918.99	85921.51	85921.51
		869918.99	869918.99
योग:-			395999849.76
घटाया संचित हानि-			
1.	31-03-2017 तक की हानि 154511934.97	(-)154517043.97	(-)154517043.97
2.	वर्ष 2017-18 की हानि 5109.00=कुल संचित हानि 154517043.97		
योग:-			241482805.97

31 मार्च, 2018 पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्थिति विवरण पत्रक

BALANCE SHEET

परिसम्पत्तियां

क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
1.	हस्तस्थ एवं अधिकोषस्थ रोक-(सिलक):-		872860.53
1.	मुख्यालय मण्डला-4859.99+3783.94-4859.99=3783.94	3783.94	
2.	शाखा मण्डला-148.90-148.90=0	0	
3.	शाखा डिण्डौरी-1149.57-1149.57=0	0	
4.	शाखा बिछिया-6469.48-6469.48=0	0	
5.	मुख्यालय मण्डला चल खाता-55019.90	55019.90	
6.	शाखा डिण्डौरी चल खाता-19353.28	19353.28	
7.	शाखा नैनपुर चल खाता-64676.74	64676.74	
8.	शाखा बिछिया चल खाता-126126.78	126126.78	
9.	केन्द्रीय बैंक मण्डला सेविंग खाता मुख्यालय 210771.35+1964845-1998017=177599.35	177599.35	
10.	केन्द्रीय बैंक मण्डला-सेविंग खाता शाखा- 166869.50-2056=164813.50	164813.50	
11.	केन्द्रीय बैंक नैनपुर-सेविंग खाता शाखा नैनपुर-35799.55	35799.55	

परिसम्पत्तियां

क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
12.	केन्द्रीय बैंक बिछिया-सेविंग खाता शाखा- 32323.10+2641-4958=30006.10	30006.10	
13.	स्टेट बैंक मण्डला-सेविंग खाता मुख्यालय 386889.40+2579574-2771972=194491.40	194491.40	
14.	केन्द्रीय बैंक मण्डला-अधिविकष सुविधा-1189.99	1189.99	
योग:-		872860.53	
2. विनियोजन:-			3933172.42
1.	राज्य बैंक के अंशों में विनियोजन-3222100.00	3222100.00	
2.	केन्द्रीय बैंक मण्डला के अंशों में विनियोजन-100.00	100.00	
3.	राज्य बैंक ऋण पत्रों में विनियोजन-1400.42	1400.42	
4.	सावधि निक्षेप खाता-(सहकारी केन्द्रीय बैंक)- 1662464.00-952892=709572	709572.00	
योग:-		3933172.42	
3. अन्य विनियोजन:-			202449.50
1.	बीमा निधि-201271.00	201271.00	
2.	ग्रेच्यूटी अंशदान-एल.आई.सी. जबलपुर में-13688.15 01-2238734=(-)869918.99 ले गया देनदारी में	0.00	
3.	जीवन बीमा एल. आई. सी. मण्डला-लाया देनदारी से	1178.50	
योग:-		202449.50	
4. राज्य बैंक से अमानतें लेना शेष:-			2516466.08
1.	वाहन रख रखाव भत्ता-1021.28	1021.28	
2.	जीप अनुदान खाता-7073.25	7073.25	
3.	संवर्ग आवास गृह बीमा खाता-23.00	23.00	
4.	अर्जित अवकाश नगदीकरण खाता-516652.30	516652.30	
5.	ग्रेच्यूटी अंशदान खाता-252709.00	252709.00	
6.	राज्य बैंक अनिवार्य अमानत खाता-270.00	270.00	
7.	मूल्यांकन शुल्क राज्य बैंक-591373.00	591373.00	
8.	संवर्ग राज्य बैंक मो. सा. अग्रिम मूलधन-40394.00	40394.00	
9.	संवर्ग राज्य बैंक भविष्य निधि-लाया देनदारी से- 953.05+12640=13593.05	13593.05	
10.	संवर्ग आवास ऋण-403.00	403.00	
11.	समायोजन लेखा जबलपुर- 557722.20-272766+808000=1092954.20	1092954.20	
योग:-		2516466.08	

परिसम्पत्तियां			
क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
5. परिसंपत्तियां:-			255318.39
1.	उपस्कर एवं उपकरण खाता-70798.73	70798.73	
2.	भूमि क्रय विक्रय खाता-179519.66	179519.66	
3.	टेलीफोन सुरक्षा निधि-5000.00	5000.00	
योग:-		255318.39	
6. निक्षेप खाता पर ऋण दिया:-			16000.00
1.	सावधि निक्षेप खाता पर ऋण-	16000.00	
7. अन्य परिसंपत्तियां (लेनदारियां) खाता :-			399564.05
1.	अन्य लेनदारिया खाता-85315.50	85315.50	
2.	कृषि डगबैल अनदान खाता-253581.95	253581.95	
3.	अन्य संस्था मशीनरी खाता-39740.60	39740.60	
4.	एम. पी. एग्री खाता-5125.00	5125.00	
5.	आयकर खाता-7501.00	7501.00	
6.	सावधि निक्षेप-8300.00	8300.00	
योग:-		399564.05	
8. अग्रिम खाता (लेना शेष) :-			223948.60
1.	प्रवास अग्रिम खाता-90689.87+5000=95689.87	95689.87	
2.	विधि शुल्क अग्रिम खाता-4000.00	4000.00	
3.	वेतन अग्रिम खाता-50084.68+33000=83084.68	83084.68	
4.	बैंक कार्य अग्रिम खाता-11173.55	11173.55	
5.	जीप किराया अग्रिम खाता-7982.80	7982.80	
6.	साईकल अग्रिम खाता-227.00	227.00	
7.	मोटर साईकल अग्रिम ऋण खाता-15353.00	15353.00	
8.	ब्रीफकेश अग्रिम खाता-125.00	125.00	
9.	विक्रय अधिकारी खाता शाखा डिण्डौरी-237.25	237.25	
10.	स्थानान्तरण वेतन अग्रिम खाता-2763.35	2763.35	
11.	उपस्कर एवं उपकरण अग्रिम खाता-712.10	712.10	
12.	राज्य बैंक संवर्ग प्रबंधक को देय अग्रिम खाता-2600.00	2600.00	
योग:-		223948.60	
9. प्राथमिक बैंक सदस्यों पर अवशेष ऋण :-			68796643.34
1.	सामान्य ऋण खाता-4605136.48	4605136.48	
2.	ए.आर.डी.सी. योजना ऋण खाता- 46601494.64-407886=46193608.64	46193608.64	
3.	आई.आर.डी. योजना ऋण खाता-11426553.22	11426553.22	
4.	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ऋण खाता-196373.00	196373.00	
5.	अकृषि ऋण खाता-2449568.00	2449568.00	
6.	किसान क्रेडिट कार्ड ऋण खाता-3925404.00	3925404.00	
योग:-		68796643.34	

परिसम्पत्तियां

क्र.	विवरण मद	राशि रुपये	कुल राशि रुपये
1	2	3	4
10.	वर्षान्त पर सदस्यों से प्राप्त योग ब्याज (प्राव.) :-		117151383.00
	1. सनहाल ब्याज-774594.00-8159=766435	766435.00	
	2. कालातीत ऋण पर ब्याज- 21033285.00-224911=20808374	20808374.00	
	3. कालातीत ब्याज- 97107636.00-1531062=95576574	95576574.00	
	योग:-	117151383.00	
11.	म.प्र. राज्य शासन से प्राप्त योग्य ब्याज :- 44133722.00+1869189=46002911.00	46002911.00	46002911.00
12.	प्रशिक्षण शुल्क ट्रेनिंग सेन्टर भोपाल खाता-500.00	500.00	500.00
13.	शहीद स्मृति कोष खाता-415.00	415.00	415.00
14.	बीमा क्लेम खाता (बीमा कम्पनी)-13500.00	13500.00	13500.00
15.	राज्य बैंक सावधि निक्षेप ऋण खाता-0.20	0.20	0.20
16.	प्राथमिक बैंक ग्रेच्युटी अंशदान (लाया देनदारी से) 1097673.68	1097673.68	1097673.68
	योग:-		241482805.79

(402)

राजेश उड़के,
सहायक पंजीयक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 फरवरी, 2020

क्र./परि./2020/160.— संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक/साख/2016/323, इन्दौर दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, 24 महारानी रोड, इन्दौर को परिसमापन में लाया गया है. जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 फरवरी, 2017 को प्रकाशन कराया जाकर आपत्तियाँ एवं दावे आमंत्रित किये गये, प्राप्त आपत्तियों एवं दावों के विधिसम्मत निराकरण पश्चात् शेष रही देयताओं के भुगतान का प्राथमिकता क्रम संलग्न परिशिष्ट (अ) अनुसार किया जाता है.

परिसमापनाधीन बैंक की देनदारियों के भुगतान का क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

क्र.	मद	राशि रु.
1.	बैंक को प्राप्त ग्रेच्युटी एवं समूह बीमा की भुगतान	122521.00
2.	अंकेक्षण शुल्क (सहकारिता विभाग)	375078.00
3.	म.प्र. राज्य सह कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल से प्राप्त ऋण	270643581.00
4.	अंशपूँजी-	
	1. राज्य शासन	11235200.00
	2. सदस्य	27175685.14
5.	अन्य-	
	1. कालातीत ब्याज देना शीर्ष बैंक	80591398.00
	2. व्यवसाय कर	8000.00

क्र.	मद	राशि रु.
3.	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	135679.00
4.	अन्त्याव्यसायी विकास समिति	37404.00
5.	भूमि भार जॉच शुल्क	80030.00
6.	सावधि निक्षेप/आवर्ती जमा	327100.00
7.	किरकोल अमानत सदस्य	1365976.19
8.	अस्थायी अंश अमानत	57510.00
9.	किरकोल अमानत समझौता	757550.00
10.	किरकोल अमानत अन्य	204112.00
11.	विकास बैंक कर्मचारी सा.सह. संस्था	1325.00
12.	भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी	48243.86
13.	कर्मचारी कल्याण कोष नाबार्ड	16384.00
14.	बीमा क्लेम से प्राप्त (गोतमपुरा)	36895.00
15.	युनियन चन्दा	300.00
16.	कर्मचारी कल्याण कोष युनियन	300.00
17.	जनहित सहकारी साख संस्था	3000.00
18.	अंश "ब" वर्ग	358028.00
कुल योग		393581300.19

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(403)

एम. एल. गजभिये,
उप-आयुक्त, सहकारिता एवं परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मई, 2020-वैशाख 18, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी, 2020

1. **मौसम एवं वर्षा**—ग्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा। कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है। संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है।

2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं।
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं।
4. **धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं।
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं।
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं।
7. **अन्य असामयक घटना से छति** :- कोई छति नहीं।
8. **फसल स्थिति** :- जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल स्थिति बिगड़ी हुई तथा शेष जिलों में सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **सिंचाई**:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है।

10. **पशुओं की स्थिति**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
11. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
12. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज	..	..	..	..	..	..	गेहूँ अन्य	चना	रईसरसों	सामान्य	..	सामान्य सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	निवाड़ी पृथ्वीपुर जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा ओरछा	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना जौ मटर रईसरसों	..	..	अधिक अधिक अधिक कम अधिक	0.15 0.02 2% 5% 10%	सामान्य सामान्य सामान्य समान समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
10.	छतरपुर :	- गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बीजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा	..	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
17.	अनूपपुर :		..	..	..	..	..	..	राईसरसों	अलसी	मसूर	अधिक	5%	सुधरी हुई	10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जैतहरी	..	..	..	..	..	..	चना	मटर	..	अधिक	5%	सुधरी हुई	10%	..	..	..	..	..
		अनूपपुर	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	तुअर	..	अधिक	10%	सुधरी हुई	10%	..	..	..	..	..
		कोतमा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पुष्पराजगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18.	उमरिया :		..	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	2%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बांधवगढ़	2.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पाली	5.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चंदिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नौरोजाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19.	सीधी :	मानपुर	17.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	समान	..	समान	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		सिंहावल	3.0	..	..	..	..	..	राईसरसों	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मझौली	..	..	..	..	..	..	जौ	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
20.	सिंगरौली:	कुसमी	9.0	..	..	..	..	..	अलसी	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		चुरहट	6.0	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बहरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामपुरनैकिन	7.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	2%	सुधरी हुई	5%	..	..	..	..	..
		चितरंगी	19.6	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	5%	सुधरी हुई	5%	..	..	..	..	..
		देवसर	18.6	..	..	..	..	..	अलसी	..	..	समान	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सरई	6.8	..	..	..	..	..	राईसरसों	..	..	कम	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		माडा	..	..	..	..	..	..	मटर	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सिंगरौली	13.6	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा							गेहूँ चना राईसरसों			अधिक कम कम		सामान्य सामान्य समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
25.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.	
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर बडौदिया गुलाना							गेहूँ चना राईसरसों मसूर तुअर अन्य			अधिक कम समान समान कम समान	20% 20% 2% ..	समान सामान्य सामान्य सामान्य समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
27.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव							गेहूँ मसूर चना राईसरसों मटर मूंग उड़द			कम कम कम अधिक अधिक कम कम	15% .. 15% 40% 20%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई		5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
28.	झाबुआ :		..	..	बोनी चालू	..	..	गेहूँ	..	..	सामान्य	..	समान	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. ..	
		थांदला	..	..	..	..	..	चना	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		मेघनगर	..	..	..	..	..	कपास	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		पेटलावद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		झाबुआ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		राणापुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
29.	अलीराजपुर :	रामा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		जोवट	..	..	जुताई चालू	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	2%	सुधरी हुई	10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		अलीराजपुर	..	..	बोनी चालू	..	..	..	चना	..	..	कम	2%	सुधरी हुई	5%	..	..	..	..	..
		कट्टीवाड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सोंडवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		उदयगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चन्द्रशेखर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		आ. नगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		भामरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		30.	धार :	बदनावर	..	..	जुताई चालू	..	..	..	कपास	..	..	अधिक	5%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.
सरदारपुर	..			..	बोनी चालू	..	..	..	गन्ना	..	..	अधिक	20%	बिगड़ी	..	..	..	..	..	..
धार	..			..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	15%	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
कुक्षी	..			..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	25%	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
मनावर	..			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
धरमपुरी	..			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
गंधवानी	..			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
डही	..			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पीथमपुर	..			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
31.	इन्दौर :			देपालपुर	..	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.
		सांवेर	..	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	50%	..	..	..	..	..	..	..
		इन्दौर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गौतमपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		महू (अम्बे.)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
32.	खरगौन :	बड़वाह महेश्वर सेगांव खरगौन गोगावां कसरावद भगवानपुरा भीकनगांव सनावद झिरन्या						कपास तुअर गेहूँ			अधिक कम अधिक		समान समान सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
33.	बड़वानी :	बड़वानी ठीकरी राजपुर सेंधवा पानसेमल पाटी अंजड बरला निवाली			जुताई चालू बोनी चालू			गेहूँ चना कपास			अधिक अधिक समान	10% 25% 20%	समान समान सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
34.	खण्डवा :	खण्डवा पुनासा खालवा पंधाना हरसूद						गेहूँ चना			कम अधिक	5% 2%	सुधरी हुई सुधरी हुई	2% 2%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
35.	बुरहानपुर :	बुरहानपुर खकनार नेपानगर			जुताई चालू बोनी चालू			कपास तुअर गेहूँ				15% 5% 20%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	10% 10% 10%	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
36.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़		..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर अन्य						5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
37.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	4.0 .. 5.0	..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर			अधिक अधिक अधिक	20% 30% 5%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़		..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर मटर			अधिक कम कम सामान्य	5% 10% 5% ..	सामान्य सामान्य समान सामान्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछावर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	4.0	..	..	..	..	गन्ना गेहूँ चना मसूर राईसरसों			कम अधिक कम कम सामान्य	.. 5% 10% 5% ..	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
40.	रायसेन :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	25%	सामान्य	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		रायसेन	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	20%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		गैरतगंज	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		बेगमगंज	..	..	..	..	..	मटर	..	..	अधिक	10%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		गोहरगंज	..	..	..	..	..	लाख	..	..	कम	40%	समान	..	..	..	..	..	..	
		बरेली	..	..	..	..	..	अलसी	..	..	अधिक	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		सिलवानी	..	..	..	..	..	राईसरसों	..	..	अधिक	70%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		बाड़ी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		सुल्तानपुर	1.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		उदयपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
41.	बैतूल :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	..	सुधरी हुई	5%	..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
		बैतूल	2.8	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	..	सुधरी हुई	5%	..	..	..	..	..	
		भैंसदेही	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		घोड़ाडोंगरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		शाहपुर	1.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		चिचोली	2.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		मुल्ताई	1.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		आठनेर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		आमला	4.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		प्र.पटनम	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		भीमपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
42.	होशंगाबाद :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	15%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ) . .	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		होशंगाबाद	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	60%	सामान्य	..	..	#REF!	..	..	..	
		सिवनी-मालवा	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	70%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		बावई	..	..	..	..	..	मटर	..	..	कम	60%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		इटारसी	..	..	..	..	..	राईसरसों	..	..	कम	30%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		सोहागपुर	..	..	..	..	..	गन्ना	..	..	कम	30%	समान	..	..	..	..	..	..	
		पिपरिया	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	30%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		बनखेड़ी	..	..	..	..	..	लाख	..	..	अधिक	30%	समान	..	..	..	..	..	..	
		डोलरिया	..	..	..	..	..	उड़द	..	..	अधिक	100%	सामान्य	..	..	..	..	..	..	
		पचमढ़ी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
43.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हंडिया टिमरनी		जुताई चालू	..	..	..	गेहूँ चना		अधिक कम		सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
44.	जबलपुर:	0 अधारताल कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा पनागर	8.0 .. 4.2 .. 2.8 .. 7.8 .. 10.2 .. 6.2 .. 16.3	जुताई चालू बोनी चालू	..	..	..	गेहूँ चना मसूर मटर		अधिक कम कम कम	10% 30% 40% 25%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5% 2% 2% 2%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
45.	कटनी :	बहोरीबंद ढीमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयरावगढ़ बरही	13.0 .. 6.5 .. 3.0 .. 10.0 .. 3.3 .. 1.0 .. 7.0 ..		..	..	..	गेहूँ तुअर चना मसूर राईसरसो अलसी मटर		समान समान सामान्य समान सामान्य समान समान		समान समान सामान्य सामान्य समान समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
46.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा		बोनी चालू	..	..	..	गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर मटर		कम अधिक अधिक कम कम अधिक	5% 5% 10% 15% 15% 20%		..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
47.	मण्डला :	मण्डला नैनपुर बिछिया निवास नारायणगंज घुघरी	.. 2.0 .. 8.6 .. 1.1 ..		जुताई चालू बोनी चालू			तुअर अलसी मसूर गेहूँ	.. राईसरसों मटर चना		समान सामान्य सामान्य समान		सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई		5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
48.	डिण्डोरी:	डिण्डोरी शाहपुरा बजाग	.. 4.7 1.0 9.1		जुताई चालू			तुअर मटर	गेहूँ मसूर	चना अलसी	समान समान		समान सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
49.	छिन्दवाड़ा :	छिन्दवाड़ा तामिया परासिया जुन्नारदेव सोंसर बिछुआ अमरवाड़ा चौरई उमरेठ मोहखेड़ हरई चांद पांडुर्णा	.. 9.2 6.0 7.2 14.6 27.8 3.4		बोनी चालू									5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.	
50.	सिवनी :	सिवनी बरघाट कुरई केवलारी लखनादोन छपारा धनोरा घंसोर			जुताई चालू बोनी चालू			तुअर चना लाख	गन्ना मसूर अलसी	गेहूँ मटर राईसरसों	कम अधिक अधिक		सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	30% 30% 30%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
51.	बालाघाट :		..	..	..	..	..	..	धान	..	..	..	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(404)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.